Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

GCMS 2020/00217

7/12/20
आदेश हेतु

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

वीराली वधवा बनाम सुरेश कुमार वगैरा

अपील नगरपालिका चुनाव

अपील प्रकरण सं0 54/2020

अधिवक्ता अपीलार्थी :–श्री ऋषि ओझा अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस:–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
27.11.2020	अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री ऋषि ओझा उपस्थित। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), नगरपालिका चुनाव, सादुलशहर के आदेश दिनांक 19.11.2020 के विरूद्व यह अपील अन्तर्गत धारा 17(बी) राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक पंजीकरण अधिनियम 1974 के तहत प्रस्तुत की है जिसमें उसने रेस्पोडेन्टस का नाम गलत जोड़े को हटाने की प्रार्थना की है। कार्यालय टिप्पणी एवं उसके सलंग्न दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि अपील अन्दर मियाद होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें। निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी (एसडीएम) नगरपालिका चुनाव, सादुलशहर को सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड मय अपील पत्र पर टिप्पणी के एवं रेस्पोडेन्टस को अपने स्तर से उपस्थित होने के लिए सूचित करने के लिए पाबन्द किया जाकर पत्रावली दिनांक 01.12.2020 को पेश हो। [signature]	
01/12/20 बकाया 2020	पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा कार्य स्थगित किया हुआ है अधिवक्ता श्री विपिन सिंह द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 की तरफ से वकालतनामा, लिखित बहस एवं फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेजात पेश किये, जो शामिल मिसल किये गये। एवं मौखिक बहस भी सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी बार संघ द्वारा कार्य स्थगित होने के कारण उपस्थित नहीं। तहसीलदार, सादुलशहर को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया। पत्रावली वास्ते रिपोर्ट एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस हेतु दिनांक 02/12/20 को पेश हो। [signature]	सुरेश मित्तल [signature] Amit [thumb impression] श्री कि अंगुठा
02/12/20.	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। तहसीलदार, सादुलशहर से उनके पत्रांक 421 दिनांक 02.12.20 से रिपोर्ट प्राप्त, जो शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7.12.20 को पेश हो। [signature]	[signature] Tdr सादुलशहर
7.12.20	बार संघ का कार्य स्थगित किया हुआ है पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 8/12/20 को पेश हो। [signature]	

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8/12/20

बार संघ द्वारा कार्य स्थगित किया हुआ है। अधिवक्ता अपीलार्थिया उपस्थित आने पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। अपीलार्थिया के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थिया अनवानी अपील को प्रत्याहित करना चाहती है इसलिए उपरोक्त वर्णित अपील को प्रत्याहरण करने के आधार पर निरस्त फरमाया जावें। अतः अपील अपीलार्थिया उपरोक्त वर्णित अपील को प्रत्याहरण करने के आधार पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी (एसडीएम) सादूलशहर को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner